



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936

No. 358]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015/MAGHA 24, 1936

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

का.आ. 507(अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपित, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 50 की उप-धारा (1) के साथ पिठत, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेरे द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239कख के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में 16 फरवरी, 2014 को जो आदेश जारी किया गया है, उसे दिनांक 14 फरवरी, 2015 से वापस लेता हूँ।

नई दिल्ली,

हस्ता./-

13 फरवरी, 2015

(प्रणब मुखर्जी)

राष्ट्रपति"

[फा. सं. यू-11013/1/2015-यू.टी.एल.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2015

S.O. 507(E).—The following Order issued by the President of India is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution read with sub-section (1) of section 50 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), I, Pranab Mukherjee, President of India hereby revoke the Order issued by me on the 16th day of February, 2014 under article 239AB of the Constitution in relation to the National Capital Territory of Delhi, with effect from the 14th day of February, 2015.

New Delhi,

Sd./-

13th February, 2015

(PRANAB MUKHERJEE)

President"

[F. No. U-11013/1/2015-UTL]
RAKESH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

का.आ. 508(अ).-राष्ट्रपति, श्री अरविन्द केजरीवाल को उस तारीख से जब वह अपने पद की शपथ लेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख(खों) से मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब वे अपने पद की शपथ लेंगे:—

- i. श्री मनीष सिसौदिया
- ii. श्री असीम अहमद खान
- iii. श्री संदीप कुमार
- iv. श्री सत्येन्द्र जैन
- v. श्री गोपाल राय
- vi. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर

[फा. सं. यू-11013/1/2015-यूटीएल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2015

S.O. 508(E).—The President is pleased to appoint Shri Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the date he is sworn in.

The President is pleased to appoint, on the advice of the Chief Minister:—

- i. Shri Manish Sisodia
- ii. Shri Asim Ahmed Khan
- iii. Shri Sandeep Kumar
- iv. Shri Satyendar Jain
- v. Shri Gopal Rai
- vi. Shri Jitender Singh Tomar

to be the Ministers in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date(s) they are sworn in.

[F. No. U-11013/1/2015-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.